न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 58/2017

अंग्रेज सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति बावरी निवासीचक 9 जी.डी.ए. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र लालूराम जाति नायक निवासी चक 9 जी.डी.बी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. ज्ञानसिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 जी.डी.बी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।
4. हरजीत सिंह पुत्र रवि सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एम.डी.ए. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
5. पूर्णराम पुत्र दयालराम जाति औड निवासी चक 19 जी.डी.बी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
6. नन्दराम पुत्र बन्ता सिंह जाति बावरी निवासी चक 9 जी.डी.ए. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना

दिनांक 30.05.2017

उपस्थितिः—

श्री तेजा सिंह, अभिभाषक अपीलांट

श्री जगमोहन आहूजा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री सोहनलाल वर्मा रेस्पो.सं. 5 व 6

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 13.11.2017

13/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर चक 9 जीडीबी के मु.नं. 4/14 व 4/22 में दुरस्ती कर उक्त मुरब्बों के प्रत्येक के किला नं. 21 से 25 में चक प्लान के मुताबिक 2–2 बिस्वा रास्ता का अंकन जो पूर्व में बिना किसी आदेश के सहवन से हटा दिया था को पुनः दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 , 3, 4 ने जबाब पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 30.05.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही प्रा.पत्र खारिज किया है। अधी. न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखें बिना ही आदेश पारित किया है। रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। धारा 136 के तहत नया रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 1988 पेज 654 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया प्रार्थीगण/रेस्पों. ने अधी. न्यायालय में 136 एल.आर.एक्ट का प्रा.पत्र पेश किया जिसका जबाब अपीलांट द्वारा दिया गया। रास्ता पूर्व से ही स्वीकृत था। लेकिन वह सहवन से दर्ज हो गया। ऐसी दुरस्ती ऐसे प्रा.पत्र पर की जा सकती है जो अधी. न्यायालय ने की है। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

13/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पों. का प्रा.पत्र स्वीकार किया कि गिरदावरी संवत् 2034–37 के आधार पर प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 correction of enteries का प्रा.पत्र स्वीकार किया जो धारा 136 के निहित प्रावधान Record of rights की दुरस्ती की परिधि में नहीं आने से अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक हिस्सा है कि " मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–37 में चक 9 जीडी के प.नं. 4/14 व 4/22 के किला नं. 21 ता 25 के प्रत्येक में दो–दो बिस्वा भूमि गैर मुमकिन दर्ज है। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19.05.17 में तहसीलदार राजस्व घडसाना अंकित किया गया है कि नामान्तरण संख्या 1 से लेकर आज दिनांक तक दर्ज नामान्तरण 176 तक चक 9 जीडी–ए के प.नं. /14 व 4/22 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता को लेकर कोई भी परिवर्तन समाविष्ट नहीं हुआ है। रास्ता के अंकन को हटाने (खारीज करने) संबंधी कोई भी कार्यवाही इन्तकाल सख्या 1 से लेकर आज तक नहीं हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है कि मु.नं. 4/14 व 4/22 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता के अलावा कोई खाला आदि स्वीकृत हो। खसरा गिरदावरी 2034–37 में मु.नं. 4/14 व 4/22 के किला नं. 21 ता 25 के प्रत्येक में दो–दो बिस्वा भूमि गैर मुमकिन दर्ज है व वर्तमान में उपरोक्त भूमि खाली बताई गई है जिससे यह साबित होता है कि पूर्व में मु.नं. 4/14 व 4/22 के किला नं. 21 ता 25 के प्रत्येक में जो दो–दो बिस्वा गैरमुमकिन दर्ज था वह गैर मुमकिन रास्ता ही था लेकिन खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–41 में सहवन से सालम दर्ज हो गया। खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–41 में किला नं. 21 ता 25 को सालम दर्ज करने बाबत किसी भी तरह का नोट खसरा गिरदावरी में अंकन नहीं है वा नहीं सालम दर्ज करने बाबत अप्रार्थीगण द्वारा कोई आदेश पेश किया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं

18/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

परिस्थितियों को देखते हुए व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।''

निर्णय का आधार खसरा गिरदावरी होना परिक्षित हुआ है जबकि खसरा गिरदावरी रिकार्ड आफ राइट्स नहीं है तथा धारा 136 रिकार्ड आफ राइट्स में शुद्धि से सम्बन्धित है, धारा 136 की Bare reading है कि '' 136. Correction of errors- The Land Records officer may , at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register''

अधी. न्यायालय का निर्णय Full of Confusion है, उनके द्वारा यह तो विवेचन कर दिया गया कि नामान्तरणकरण संख्या 1 से 176 में रास्ते के इन्द्राजात को हटाने की कोई प्रविष्टि नहीं है परन्तु यह रास्ता किसी नामान्तरणकरण द्वारा दर्ज नहीं हुआ है का विवेचन नहीं किया जबकि गिरदावरी के इन्द्राजात किसी नामान्तरणकरण के मार्फत नहीं होते है।

अपीलांट के मूल आवंटन दिनांक 19.06.1976 में रास्ते के इन्द्राजात नहीं है। प्रथम जमाबन्दी जो सम्वत 2043 में बनी उसमें रास्ते का इन्द्राज नहीं है तथा तहसीलदार घडसाना की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2017/1241 दिनांक 12.06.2017 में अंकित है कि मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है। अतः गिरदावरी को आधार बनाकर रिकार्ड आफ राइट्स में दुरस्ती करना नियम विरूद्ध है जो इन्द्राजात पूर्व में Record of right में रहे ही नहीं हो को धारा 136 में दुरस्त किया जाना नियम विरूद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर